

उत्तर प्रदेश शारान  
नगर विकास अनुभाग-5  
संख्या-: 5884 / नौ-5-2014-13एनजीअ रबीए / 2014  
लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

गंगा नदी संरक्षण एवं निर्मलीकरण हेतु संचालित एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी के तट पर बसे महानगरों में रिवर फ्रंट डेवलपमेन्ट की परियोजनाएं क्रियान्वित कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

2- उक्त के संबंध में दिनांक 21.05.2013 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अध्यक्षता में गठित उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के अन्तर्गत गठित राज्य कार्यकारी की नवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्य योजना में शामिल योजनाओं के डी0पी0आर प्राथमिकता पर गठित कराते हुये भारत सरकार को स्वीकृत हेतु भेजा जाय। रिवर फ्रंट डेवलपमेन्ट की परियोजनाओं को तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन का कार्य सिंचाई विभाग के स्थान पर संबंधित नगरों विकास प्राधिकरणों से कराया जाय। उक्त कार्य हेतु संबंधित नगर का विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी होगा तथा सिंचाई विभाग, नगर निगम व उ0प्र0 जल निगम द्वारा अपने से संबंधित बिन्दुओं पर सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3- संदर्भित बैठक से संबंधित कार्यवृत्त के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या-3988 / नौ-5-2013-3एनजीआरबीए / 2013, दिनांक 08.08.2013 द्वारा आयुक्त, वाराणसी / इलाहाबाद / कानपुर / मेरठ / आजमगढ़ / मिर्जापुर / लखनऊ को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया है।

4- गंगा नदी संरक्षण एवं निर्मलीकरण हेतु संचालित एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कानपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी, महानगरों में रिवर फ्रंट डेवलपमेन्ट योजनाओं के गठन पर निर्णय लेने हेतु संबंधित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय अनुमति प्रदान करते हैं -

- |   |            |
|---|------------|
| (1) संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त-                 | अध्यक्ष    |
| (2) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण                    | सदस्य सचिव |
| (3) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी                    | सदस्य      |
| (4) संबंधित नगर के नगर आयुक्त                     | सदस्य      |
| (5) अन्य लाइन डिपार्टमेन्ट के मण्डलस्तरीय अधिकारी | सदस्य      |
- (कम संख्या-5 पर उल्लिखित मण्डलस्तरीय अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित करने की कार्यवाही उपरोक्त समिति के अध्यक्ष / सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।)

5- उपरोक्तानुसार मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति अधीनस्थ नगरों में रिवर फ्रंट डेवलपमेन्ट योजनाओं के गठन पर बैठक आहूत करके सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लेते हुए योजनाएं शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

श्रीप्रकाश सिंह  
सचिव


.....2/

संख्या-5884(1)/नौ-5-14 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्षवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास/सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन
3. मण्डलायुक्त, कानपुर/इलाहाबाद/वाराणसी।
4. जिलाधिकारी, कानपुर/इलाहाबाद/वाराणसी।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर/इलाहाबाद/वाराणसी।
6. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर / इलाहाबाद/वाराणसी।
7. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, कानपुर नगर / इलाहाबाद/वाराणसी।
8. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कानपुर नगर / इलाहाबाद/वाराणसी।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यटन विभाग, कानपुर नगर / इलाहाबाद/वाराणसी।
10. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

ओझा से

  
(उमा शंकर सिंह)  
उप सचिव